

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 423 / 2013 / कोटा.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शारदा सोल्वेंट लिमिटेड, मूंडला, कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री पारस पाटनी, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 04 / 05 / 2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर केम्प-कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 88/वेट/11-12/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.12.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 16.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।
2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
3. प्रस्तुत प्रकरण में वक्त जांच वाहन चालक द्वारा परिवहनित माल '234 बोरी सरसों' से सम्बन्धित डिलीवरी चालान संख्या 5338 एवं बिल्टी संख्या 4110 दिनांक 11.11.2011 की द्वितीय प्रतियां एवं धर्मकांटा पर्ची संख्या 7560 दिनांक 11.11.2011 प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों के अनुसार माल का परिवहन कोटा से बूंदी के लिये किया जा रहा था। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त दस्तावेजों की द्वितीय प्रति प्रस्तुत करने तथा चालान के नम्बर हाथ से अंकित होने के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से चालान की मूल प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसके क्रमांक भी हाथ से अंकित किये गये थे एवं चालान की लिखावट वक्त जांच प्रस्तुत किये गये चालान से भिन्न थी। इस आधार पर माल के परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,54,513/- आरोपित की गयी।




लगातार.....2

4. प्रकरण के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के प्रावधान अनुसार माल के कोटा से बूंदी के लिये परिवहन होने के समय माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे। दस्तावेज और माल के बीच कोई अन्तर नहीं था अर्थात् जांच के समय प्रस्तुत दस्तावेजों से माल कवर्ड था। जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 76(2) का उल्लंघन केवल इस आधार पर माना कि उसकी दूसरी प्रति के अक्षरों में भिन्नता थी परन्तु माल एवं वजन के विवरण भिन्न नहीं थे। वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या भी नहीं बताया है एवं न ऐसी कोई जांच की गई। अपीलार्थी द्वारा क्रेता फर्म मैसर्स अडाणी विलमार को भारी मात्रा में निरन्तर माल इसी तरह राज्य के भीतर चालान से भिजवाया जाने का उल्लेख भी है एवं 5301 से 5347 तक के चालान की प्रतियां एवं उसके विरुद्ध जारी बिलों की प्रतियां भी पेश की थी। शास्ति आदेश में भी माल का चालान, बिल्टी, माल की मात्रा 234 बोरी सरसों वजन एवं कीमत रूपये 5,15,043/- तथा संग्रहित वेट भी दर्ज था। ऐसी स्थिति में निर्विवाद रूप से माल का परिवहन धारा 76(2) के प्रावधान अनुरूप अनिवार्य दस्तावेजों के समर्थन से किया गया था ऐसी स्थिति में धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति के आरोपण का आधार केवल दूसरी प्रति के लिखावट में अन्तर होना बताया है, परन्तु उन दस्तावेजों को False or Forge नहीं बताया है बल्कि वे माल के लिये पूर्णतया समर्थित थे। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।



(के. एल. जैन)
सदस्य